

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(जिला योजना कार्यालय)


:- व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु अभिरुची अभिव्यक्ति :-

पूर्वी चम्पारण, जिले के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना अन्तर्गत युवाओं को वित्तिकोपाजन हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए समान क्षेत्र में अनुभव रखने वाले ख्याति प्राप्त एवं पंजीकृत संस्थानों से निम्नांकित व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु अभिरुची अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्ताव आतंत्रित किया जाता है :-

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि
1	मोबाईल रिपेयरिंग ट्रेनिंग	3 माह
2	ब्युटीपार्लर ट्रेनिंग	3 माह

उपरोक्त प्रस्ताव देने हेतु संस्थान की योग्यता :-

1. संस्था कम से कम 3 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो।
2. समान व्यवसाय में 3 वर्ष का औसतन आवर्त (Turn Over) 25 (पच्चीस) लाख हो।
3. समान व्यवसाय में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
4. संस्था/कम्पनी के नाम से सेवा कर संख्या/पैन संख्या उपलब्ध हो। (उपरोक्त सभी के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज एवं 3 वर्षों का अंकेक्षण रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति प्रस्ताव के साथ कमानुसार संलग्न होना आवश्यक है।)
5. आवेदित कोर्स संचालित करने हेतु प्रस्तावित वर्षों में प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुज्ञेप्ति होना आवश्यक है।
6. EOI प्रशिक्षण शुल्क प्रति ट्रेड 500/- रुपये का पूर्वी चम्पारण में भुगतये बैंक ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के नाम से प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
7. प्रस्ताव (EOI) जिला योजना पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पता पर कोरिडोर/रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक-08.06.2015 के अपराहन 05:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। लिफाफे के उपर व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु अभिरुची अभिव्यक्ति (EOI) लिखा होना चाहिए।
8. प्रस्ताव का प्रारूप (तकनीकी एवं वित्तीय भाग सहित) पूर्वी चम्पारण के वेबसाईट www.eastchamparan.bih.nic.in पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। अन्य प्रारूप में भेजा गया प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा सकता है।
9. जिला योजना पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को बिना कारण बताए अभिरुची अभिव्यक्ति को प्रस्ताव को रद्द करने या तिथि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।


जिला योजना पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी